

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय  
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् 'ए' ग्रेड विश्वविद्यालय)  
'सामान्य प्रशासन शाखा'

संख्या: 16-33/78-हि० प्र० वि० वि० (सामान्य)

दिनांक: 06 JUL 2018

"परिपत्र"


माननीय कुलपति महोदय जी ने निर्देश दिए हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन संख्या 16-1/2008/(राजभाषा) दिनांक 12.06.2018(प्रतिलिपि संलग्न) में जारी दिशा-निर्देशों को यथावत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अनुसरण किया जाए।

  
कुलसचिव

दिनांक: 06 JUL 2018

पृष्ठांकन: सम संख्या।  
प्रतिलिपि:-

1. शिक्षा अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को उनके पत्र संख्या 16-1/2008/(राजभाषा) दिनांक 12.06.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता अध्ययन/छात्र कल्याण/मुख्य छात्रपाल, हि० प्र० वि० वि०, शिमला।
3. समस्त अधिष्ठाता संकाय/अध्ययन विभागों के विभागाध्यक्ष/निदेशक, हि० प्र० वि० वि०, शिमला।
4. निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा केन्द्र एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र/शारीरिक शिक्षा/एकीकृत हिमालयन अध्ययन केन्द्र/ एईआरसी / पीईसीसी/ मानव संसाधन विकास केन्द्र / यूआईएलएस/ यूसीबीएस/ यूआईआईटी, हि० प्र० वि० वि०, शिमला-5
5. प्रधानाचार्य, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सांध्यकालीन अध्ययन केन्द्र, द मॉल शिमला-1
6. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियन्त्रक /संयुक्त नियन्त्रक, स्थानीय लेखा/आन्तरिक लेखा अधिकारी /मुख्य सुरक्षा अधिकारी/जन सम्पर्क अधिकारी, हि० प्र० वि० वि० शिमला-5
7. प्रभारी, स्वास्थ्य केन्द्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5
8. वाहन अधिकारी, हि० प्र० वि० वि०, शिमला-5
9. समस्त सांविधिक अधिकारी/ शाखा अधिकारी, हि० प्र० वि० वि०, शिमला
10. अधिशासी अभियन्ता(निर्माण/रख-रखाव)/पुस्तकालयाध्यक्ष, हि० प्र० वि० वि०, शिमला।
11. वेब एडमिनीस्ट्रेटर, हि० प्र० वि० वि०, शिमला-5 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वे उपरोक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
12. सचिव/वरिष्ठ निजी सचिव कुलपति /कुलसचिव के निजी सचिव, हि० प्र० वि० वि०, शिमला।
13. रक्षक मिसिल।

  
कुलसचिव



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
University Grants Commission  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार  
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)  
बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली - 110 002  
Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110-002  
Phone : 011-23406308, 011-23406309

2304-CD


22-6-18



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

मि०सं० 16-1/2008/(राजभाषा)

कुलसचिव,  
हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, समर हिल्स,  
शिमला-171 005  
(हिमाचल प्रदेश)



जून, 2018

3051

23/6/2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के संबंध में।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 1 मई, 2018 के कार्यालय ज्ञापन सं०13035-13/2016-रा.भा.ए. के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 14 मई, 2018 को नई दिल्ली में संपन्न बैठक में सदस्य श्री हरवीर सिंह शास्त्री जी के सुझाव प्रेषित किए गए थे, जो कि निम्नवत् है:

“कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग मंत्री-अधिकारियों और कर्मचारी सभी गर्व के साथ करें। पत्रोत्तर राजभाषा में अवश्य होना चाहिए। राजभाषा के व्यावहारिक शब्दों को बोलने में गर्व अनुभव करें, जैसे-नमस्ते, नमस्कार श्रीमान जी, महोदय, मान्यवर, कृपया धन्यवाद आदि। इनके स्थान पर यदि हम विदेशी शब्दों का प्रयोग करते रहे तो राजभाषा का गौरव कैसे बढ़ेगा?

परिवार में भी राजभाषा अथवा राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करें। जैसे-माता, पिता, बहिन, चाचा, चाची आदि। इसके विपरीत अनेक परिवारों में विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग अहितकर है।

सामाजिक जीवन में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए। हमें परस्पर संवाद राजभाषा में करना चाहिए। पत्र व्यवहार हिन्दी में करना चाहिए। सभा में भाषण भी राजभाषा में करना चाहिए।”

203040 (संख्या 58110)

N

D/Dir: Basole 23/6/18

मेधा कौशिक  
(मेधा कौशिक)  
शिक्षा अधिकारी

STANDARD  
GROUP  
FILE NO./COURT/COURT RATE  
PERSONAL ATTENTION  
BRAY  
PRIORITY